24-5-22

आज दिनांक अभियोजन अधिकारी
द्वारा बहस की न्यायालय समक्ष
रखे पूर्व में साक्ष्यगत नोटिस व तत्पश्चात
अभियुक्त नोटिस तामील किये जाने के
बावजूद भी अभियुक्त न्यायालय की
सम्मन अधिकारी नहीं आये अतः
अभियुक्त अभियोजन की ~~[illegible]~~ अनुपस्थिति
में अग्रिम कार्यवाही में साक्षियों की
तामील हेतु पत्रावली पोस्टल स्थगन
किया जाता है तामील व तामील वारंट
जारी करते हैं